

# कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF) राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ. 14(427 / 36)2020 / एफसीए / प्रमुखसं /  
मुख्य वन संरक्षक,  
अजमेर।

दिनांक

- विषय:-** Diversion of 0.0515 hectare forest land for construction of approach road for a new Bharat Petroleum Corporation Ltd. retail outlet On(Nagaur-Alai) Road NH-62(Old NH-89) Between KM Stone No. 168-169, LHS in khasra No. 83/983 & 1315/983 at Village-Nagaur, Tehsil & District-Nagaur (Rajasthan).
- संदर्भ:-** राजस्थान सरकार वन विभाग, जयपुर का पत्रांक प. 1 (26) वन/2021 जयपुर, दिनांक 16.07.2021 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत राज्य सरकार के पत्रांक प. 1 (26) वन/2021 जयपुर, दिनांक 16.07.2021 (प्रति संलग्न) से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत Diversion of 0.0515 hectare forest land for construction of approach road for a new Bharat Petroleum Corporation Ltd. retail outlet On(Nagaur-Alai) Road NH-62(Old NH-89) Between KM Stone No. 168-169, LHS in khasra No. 83/983 & 1315/983 at Village-Nagaur, Tehsil & District-Nagaur (Rajasthan). हेतु 0.0515 हैक्टर वनभूमि प्रत्यावर्तन एवं दो वृक्षों के सुनिश्चित करावें इसके उपरांत प्रकरण में संबंधित विभाग/संस्था को वनभूमि के उपयोग वाली अनुमति दे दी जावें।

1. राज्य सरकार के उक्त पत्र में अंकित समस्त शर्तों की कड़ाई से पालना की जावें।
2. मुख्य वन संरक्षक स्तर पर राज्य सरकार द्वारा अधिरोपित शर्तों की पालना का प्रबोधन निरंतर किया जावें।
3. मुख्य वन संरक्षक के क्षेत्र से संबंधित समस्त स्वीकृतियों का पृथक से एक रजिस्टर संधारित किया जावें।  
संलग्न: उक्तानुसार।

भवदीय,

३०

(एस. के दुबे)

अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक,  
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी, एफसीए,  
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक: एफ. 14(427 / 36)2020 / एफसीए / प्रमुखसं / **२०५३-५७** दिनांक **२९.७.२१**  
प्रतिलिपि:-निम्नांकित को राज्य सरकार के उक्त पत्र की प्रति साहित सूचनार्थ एवं आदश्यक कायदाहारी हेतु प्रेषित है:-

1. उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर कैम्प कार्यालय, केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024 (उ०प्र०)
2. शासन सचिव, वन विभाग, राजस्थान, जयपुर को उनके पत्रांक प. 1 (26) वन/2021 जयपुर, दिनांक 16.07.2021 के क्रम में।
3. अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक,(आईटी.) अरण्य भवन, जयपुर को राज्य सरकार वन विभाग, जयपुर के आदेश दिनांक 16.07.2021 (प्रति संलग्न) को राज्य वन विभाग की वैवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित है।
4. उप वन संरक्षक, नागौर को प्रेषित कर लेख है कि मण्डल से संबंधित समस्त प्राप्त स्वीकृतियों के सम्बन्ध में पृथक से एक रजिस्टर में सूचना संधारित की जावें।
5. वरिष्ठ प्रबंधक (खुदरा विक्री) भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिं. वी.पी.सी. एल. सीतापुर, जयपुर -302022

Sn. 1

४५-

(भवानी सिंह)

उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए.)

अरण्य भवन, जयपुर



राजस्थान  
प्रशासनीय विभाग



राजस्थान सरकार

वन विभाग

क्रमांक: प. 1 (26) चन/2021  
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF),  
राजस्थान, जयपुर।

जयपुर, दिनांक: 16 JUL 2021

**विषय:**— Diversion of 0.0515 ha. forest land in favour Bharat Petroleum Corporation Ltd. for Construction of Approach Road for Proposed Bharat Petroleum Corporation Ltd. Retail Outlet on Nagaur - Nokha Road Section of NH-62 (Old NH-89) between KM Stone No. 168-169 (Chainage: 168/378.10 - 168/356) RHS in Khasra No. 83/983 & 1315/983, At Village - Nagaur, Tehsil - Nagaur, District - Nagaur, Rajasthan

**संदर्भ:**—आपका पत्रांक एफ 14(427/36)2020/एफसीए/प्रमुखस/1478 दिनांक 17.06.2021

22/7/21  
महोदय,

DCF(FCA)

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित प्रस्ताव भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, लिमिटेड द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत सामान्य स्वीकृति के तहत धारा-2 में एच.एच-62 (पुराना एज.एच.. 89) के खसरा नम्बर 83/983 एवं 131/983 के ग्राम नागौर जिला नागौर में प्रस्तावित पेट्रोल पम्प के प्रवेश एवं निकास हेतु 0.0515 हेक्टर वन भूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति चाही गई थी। इस क्रम में इस कार्यालय के समर्संख्यक पत्र दिनांक 24.03.2021 द्वारा प्रसारित सैद्धान्तिक स्वीकृति के अनुसरण में अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण अधिनियम, राजस्थान के अनुपालना प्रेषित कर विधिवत स्वीकृति जारी किये जाने की अनुशंसा की गयी है।

प्रेषित अनुपालना पर विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत धारा-2 में सामान्य स्वीकृति बाबत जारी दिशा निर्देशों की पालना में Diversion of 0.0515 ha. forest land in favour Bharat Petroleum Corporation Ltd. for Construction of Approach Road for Proposed Bharat Petroleum Corporation Ltd. Retail Outlet on Nagaur - Nokha Road Section of NH-62 (Old NH-89) between KM Stone No. 168-169 (Chainage: 168/378.10 - 168/356) RHS in Khasra No. 83/983 & 1315/983, At Village - Nagaur, Tehsil - Nagaur, District - Nagaur, Rajasthan की विधिवत स्वीकृति दो वृक्षों के पातन सहित निम्न शर्तों के अध्यधीन प्रदान की जाती है:-

1. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।
3. याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समर्प्त उपाय किये जावेगें।
4. प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने याले को वृक्षों वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिवर्क्ष होने पर, वन विभाग के होगे।
5. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा।



भौतिक योजना



6. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।
7. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनगृहि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान भिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा।
8. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर पेट्रोल पम्प में प्रवेश एवं निकास मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर ट्री गार्ड लगाकर तथा दोनों मार्गों के बीच के रथान (separator island) पर कम से कम 2 फीट ऊची दीवार बनाकर सीमांकन कर इसका उपयोग वृक्ष लगाने एवं उन्हे संरक्षित करने में किया जाएगा। यह वृक्षारोपण क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के अतिरिक्त होगा। प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा-निर्देश की पालना करेगा।
9. राज्य सरकार द्वारा दी गई उक्त अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।
10. सैद्धांतिक स्वीकृति दिनांक 24.03.2021 में वर्धित शर्तों की सभी सम्बन्धित द्वारा पूर्ण पालना सुनिश्चित की जायेगी।
11. नोडल अधिकारी (वन संरक्षण) इस प्रस्ताव की स्वीकृति के अगले माह की 5 तारीख को संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रेषित करे।
12. प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त की अनुपालन नहीं होने अथवा असंन्तोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

भवदीय,

(बी. प्रवीण)

शासन सचिव

प्रतिलिपि निर्मांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अपर वन महानिदेशक-वन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इन्दिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोर बाग रोड, नई दिल्ली-110003
2. अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्यकेन्द्र), पंचम तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024।
3. अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन सुरक्षा एवं नोडल अधिकारी एफ.सो.ए, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि इस प्रकार के प्रकरणों में जारी की गई स्वीकृतियों की मासिक सूचना संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्रत्येक माह की 5 तारीख तक प्रेषित की जावे।
4. मुख्य वन संरक्षक, अजमेर।
5. उप वन संरक्षक, नागौर।
6. वरिष्ठ प्रवंधक (खुदरा विकी) भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि.० बी.पी.सी.एल. सितापुरा, जयपुर, राजस्थान- 302022
7. रक्षित पत्रावली।

11

(शुभम जैन)  
विशेषाधिकारी, वन